रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 149] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 1972/फाल्गुन 27, 1893

No. 149] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 1972/PHALGUNA 27, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th March 1972

S.O. 196(E).—Whereas an election is required to be held by Section 18 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), to elect a representative from the Mizoram (ST) Parliamentary constituency in the Union Territory of Mizoram as if the seat of the member elected to the House of the People from that constituency has become vacant:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 28th April, 1972, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder a person who is a member of any of the Scheduled Tribes to fill the said seat

[No. 464/MIZ/HP/72(1)]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1972

एस० ओ० 196(अ).—अतः, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 18 द्वारा मीजोरम संघ राज्यक्षेत्र में मीजोरम (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन किया जाना अपेक्षित है, मानो उस निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो गया हो ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा यह अपेक्षा करता है कि वह उस स्थान को भरने के लिए 28 अप्रेल, 1972 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति निर्वाचित कर दे जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो ।

[सं० 464/मीजो०—लो० स०/72 (1)]

S.O. 197(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the election to be held in Mizoram (ST) Parliamentary constituency in the Union territory of Mizoram in pursuance of its notification No. 464/MIZ/HP/72 (1) dated the 17th March, 1972.

(a) the 24th March, 1972 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) the 25th March, 1972 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 27th March, 1972 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 18th April, 1972 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 28th April, 1972 (Friday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 464/MIZ/HP/72(2).]

एस० ओ० 197(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुपरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 464/मीजो—लो० स०/72 (1), तारीख 17 मार्च, 1972 के अनुसरण में मीजोरम संघ राज्य क्षेत्र में मीजोरम (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले निर्वाचन के बारे में —

(क)	नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख .	24 मार्च, 1972 (शुक्रवार) ;
(ख)	नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख . .	25 मार्च, 1972 (शनिवार) ;
(ग)	अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख .	27 मार्च, 1972 (सोमवार) ;

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा । — 18 अप्रैल, 1972 (मंगलवार); तथा

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा — 28 अप्रैल, 1972 (शुक्रवार);

एतद्द्वारा नियत करता है ।

[सं० 464/मीजो०-लो०स०/72 (.)]

S.O. 198(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7 A.M. to 5 P.M as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the House of the People from Mizoram (ST) Parliamentary constituency, to be held in pursuance of its notification No. 464/MIZ/HP/72(1), dated the 17th March, 1972.

[No. 464/MIZ/HP/72(3).]

By order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

एस० ओ० 198 (अ):—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 464/मीजो०-लो०स०/72(1), तारीख 17 मार्च, 1972 के अनुसरण में मीजोरम (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 7 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[सं 464/मी.जो० लो० स०/72(3)]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI 1